कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,एटा

पत्रांक/ 12350-55 /2018—19 दिनांक 15-01-19

प्रबन्धक
सेंट जौन्स चर्च स्कूल नगर क्षेत्र एटा !

विषय— निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम(4)के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र

महोदय/महोदया,

आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश के क्रम मे मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार शासनादेश दिनांक 8—5—2013 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सेंट जौन्स चर्च स्कूल नगर क्षेत्र एटा (अँगेजी माध्यम) को दिनांक 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये नर्सरी से कक्षा 8 तक संचालन हेतु अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है—

1. मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/सवधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षण अधिकार अधिनियम 2010 उपाबन्ध 1 और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 उपाबन्ध 2 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा मे) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत एवं पास पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों कों प्रेवेश प्रदान करेगा और उन्हे निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्टि बालकों के लिये विद्यालयों को धारा 12की उपधारा 2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा, ऐसी प्रर्तिपूर्तियॉ प्राप्त करने क लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता—पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा—

(I) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(II) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(III) शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई वोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(IV) शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(V) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थिओं को प्रवेश दिया जाना।

(VI) अध्यापक अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ कर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठयचर्या के आधार पर पाठयकम का पालन होगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ठ विद्यालय के मानकों और संनियमों को वनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार है—
   क्रीडा—स्थल का क्षेत्रफल, कक्षाओं की संख्या, प्राध्यापक सह कार्यालय सह भण्डार कक्ष, वालक और वालिकाओं के लिये प्रथक—प्रथक शौचालय, पेयजल सुविधा, मिड डे मील पकाने के लिये रसोई बाधाररहित पहुँच, अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता।
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके वाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाये।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तिओं के लाभ के लिये नही चलाया जा रहा है।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,एटा

पत्रांक/ 12350-55 /2018–19 दिनांक 15-01-19

प्रबन्धक
सेंट जौन्स चर्च स्कूल नगर क्षेत्र एटा !

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम(4)के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र

महोदय/महोदया,

आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश के क्रम मे मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार शासनादेश दिनांक 8-5-2013 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सेंट जौन्स चर्च स्कूल नगर क्षेत्र एटा (ॲंगेजी माध्यम) को दिनांक 01 अप्रेल 2019 से 31 मार्च 2022 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये नर्सरी से कक्षा 8 तक संचालन हेतु अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है–

1. मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/सवधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षण अधिकार अधिनियम 2010 उपाबन्ध 1 और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 उपाबन्ध 2 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा मे) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत एवं पास पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों कों प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालयों को धारा 12की उपधारा 2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा, ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने क लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा–

(I) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
(II) किसी भी वालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
(III) शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई वोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
(IV) शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
(V) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थिओं को प्रवेश दिया जाना।
(VI) अध्यापक अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ कर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठयचर्या के आधार पर पाठयक्रम का पालन होगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ठ विद्यालय के मानकों और संनियमों को वनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार है–
   क्रीडा–स्थल का क्षेत्रफल, कक्षाओं की संख्या, प्राध्यापक सह कार्यालय सह भण्डार कक्ष, वालक और वालिकाओं के लिये प्रथक–प्रथक शौचालय, पेयजल सुविधा, मिड डे मील पकाने के लिये रसोई बाधाररहित पहुँच, अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता।
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके वाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाये।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तिओं के लाभ के लिये नही चलाया जा रहा है।